जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-28.05.2025**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये का ईनामी गौ-तस्कर पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व मोटर साईकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि आज दिनांक 23.04.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में कोतवाली शामली पुलिस को गौकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त इशाम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को दिनाँक 23.04.2025 को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में वांछित 25,000/- रुपये के ईनामी गौ-तस्कर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में राजमहल होटल के पास कैराना रोड़ से घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। मुठभेड में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस व एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुयी है। घायल को उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सलमान पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला आजाद चौक काजीवाडा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध एक तमंचा 315 बोर, 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 265/2021 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 296/2021 धारा 323/324/506 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 37/2023 धारा 411/414/420/465 भादवि थाना आदर्श मंडी जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 592/2024 धारा 325 बीएनएस व 11(1)/3 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 196/2025 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
6.मु0अ0सं0 263/2025 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानो से 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 400 ग्राम चरस बरामद।</u>

दिनांक 27.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा अलग-अलग स्थानो से 02 मादक पदार्थ तस्करो को अवैध 400 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.ईनाम पुत्र कामिल निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर रोड़ थाना कांधला जनपद शामली।

2.अनस पुत्र कामिल निवासी मौहल्ला नई बस्ती सलेमपुर रोड़ थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 400 ग्राम चरस।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 27.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फरमान पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम सल्फा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामड़ा में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.05.2025 को वादी श्री विशाल कुमार पुत्र श्री कंवरपाल निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली के पिता पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने व गाली गलौच,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामड़ा में एक राय होकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की घटना में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.जिनेश पुत्र ब्रह्म सिंह उर्फ बिरमा निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

2.इन्दर पुत्र शोभा राम निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 27.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आकाश पुत्र राकेश निवासी ग्राम पावंटी कलां थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना कोतवाली शामली/बाबरी/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 28.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/बाबरी/कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अनुज कुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम सिम्भालका थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सोनू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम वैरखेड़ी थाना तितरों जनपद सहारनपुर।

3.दाऊद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जुआ अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1.-वर्ष 2023 में अभियुक्त शहजाद पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला आर्यनगर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 82/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 28.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI